[2020] 10 एस. सी. आर 273

क.

मुदमलाई का स्वास्थ्य संगठन बनाम।

पर्यावरण और जानवरों और हमारी रक्षा में। ईटीसी।

(सिविल अपील सं. 2020 का 3438-3439) 14 अक्टूबर, 2020

[एस**.** ए**.** बोबडे**,** सीजेआई**,** एस**.** अब्दुल नजीर और संजीव खन्ना**,** जे**.** जे**.]**

वन्यजीव (संरक्षण) अधिनियम, 1972-नीलगिरी जिले के सिगुर पठार में अधिसूचित हाथी गलियारा-रिज़ॉर्ट मालिकों/अन्य निजी भूमि मालिकों को अधिसूचित हाथी गलियारे के भीतर आने वाली भूमि को खाली करने का निर्देश-अधिसूचना को चुनौती-उच्च न्यायालय द्वारा स्थगित-अपील पर कहा गयाःराज्य सरकार समवर्ती सूची में प्रविष्टियों 17 ए, 17 बी और वन्यजीव अधिनियम के तहत अपनी शक्ति के आलोक में अपने क्षेत्र के भीतर आने वाले वनों और वन्यजीवों की रक्षा के लिए उपाय करने के लिए सशक्त है-राज्य सरकार को अपीलकर्ताओं की भूमि पर स्थित आवासों की रक्षा करने के लिए एक हाथी गलियारे को अधिसूचित करने का अधिकार है-पर्यावरण कानून-भारत का संविधान-समवर्ती सूची-प्रविष्टियां 17 ए, 17 बी।

ग

डी.

ई.

पर्यावरण कानून-एहतियाती सिद्धांत-आयोजितःएहतियाती सिद्धांत राज्य सरकार के लिए पर्यावरण क्षरण के कारणों का अनुमान लगाना, उन्हें रोकना और उन पर हमला करना अनिवार्य बनाता है।

अपीलों का निपटारा करते हुए**,** न्यायालय ने

च

पकड़नाः**1.1** वाइल्डलाइफ ट्रस्ट ऑफ इंडिया हाथियों को "कीस्टोन प्रजाति" के रूप में बताता है क्योंकि उनका खानाबदोश व्यवहार पर्यावरण के लिए बेहद महत्वपूर्ण है।घूमते हाथियों के झुंड पारिस्थितिकी तंत्र में कई महत्वपूर्ण भूमिका निभाते हैंः

(i) परिदृश्य वास्तुकारःहाथी जंगल में सफाई करते हैं क्योंकि वे चलते हैं**,** कुछ पौधों की प्रजातियों के अतिवृद्धि को रोकते हैं और दूसरों के पुनर्जनन के लिए जगह देते हैं**,** जो बदले में अन्य शाकाहारी जानवरों को पोषण प्रदान करते हैं।**((ii)** बीज का फैलावःहाथी पौधों**,** फलों और बीजों को खाते हैं**,** जब वे अन्य स्थानों पर शौच करते हैं तो बीज छोड़ते हैं क्योंकि वे ए

जी.

एच.

यात्रा करें।यह विभिन्न पौधों की प्रजातियों के वितरण की अनुमति देता है**,** जिससे जैव विविधता को लाभ होता है।

((ग**)** पोषणःहाथी का गोबर पौधों और जानवरों को पोषण प्रदान करता है और कीटों के प्रजनन स्थल के रूप में कार्य करता है।**((iv)** खाद्य श्रृंखलाःबाघ जैसे शीर्ष शिकारी कभी**-**कभी युवा हाथियों का शिकार करते हैं।इसके अलावा**,** हाथी के शव अन्य जानवरों के लिए भोजन प्रदान करते हैं।

(v) छत्र प्रभाव:हाथियों के स्वतंत्र रूप से घूमने के लिए एक बड़े क्षेत्र को संरक्षित करके, पारिस्थितिकी तंत्र की कई अन्य जानवरों और पौधों की प्रजातियों के लिए एक उपयुक्त आवास प्रदान करता है।

ग

हाथी गलियारे हाथियों को अलग-अलग वन आवासों के बीच यात्रा की सुविधा प्रदान करके, सिकुड़ते वन क्षेत्र के बावजूद, जीवित रहने के अपने खानाबदोश तरीके को जारी रखने की अनुमति देते हैं।गलियारे वन के संकीर्ण और रैखिक क्षेत्र हैं जो आवासों में संपर्क स्थापित करते हैं और सुविधा प्रदान करते हैं।आज की दुनिया के संदर्भ में, जहां आवास विखंडन तेजी से आम हो गया है, ये गलियारे आवास अलगाव के प्रभाव को कम करके वन्यजीवों को बनाए रखने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाते हैं।उनकी अनुपस्थिति में, हाथी स्वतंत्र रूप से घूमने में असमर्थ होंगे, जो बदले में कई अन्य पशु प्रजातियों को प्रभावित करेगा और कई जंगली आवासों का पारिस्थितिकी तंत्र संतुलन अपरिवर्तनीय रूप से परेशान होगा।यह अंततः हाथियों के स्थानीय विलुप्त होने का कारण भी बनेगा, एक ऐसी प्रजाति जिसे हमारे देश और दुनिया भर में व्यापक रूप से सम्मानित किया जाता है।जंगली हाथियों के भविष्य को सुरक्षित करने के लिए, यह आवश्यक है कि विभिन्न वन आवासों के बीच उनकी निर्बाध आवाजाही सुनिश्चित की जाए।इसके लिए हाथी गलियारों की रक्षा की जानी चाहिए।**[**पैरा **34] [292-**ए**-**जी**]**

डी.

ई.

च

1.2 इन गलियारों के संरक्षण में कानूनी हस्तक्षेप की आवश्यकता है क्योंकि वन्यजीव गलियारों को विभिन्न सामाजिक, आर्थिक और मानवजनित कारकों से खतरा है, जैसा कि ऊपर उल्लेख किया गया है।निजी रिसॉर्टों को चलाने और हाथियों के गलियारों के भीतर कांटेदार और बिजली की बाड़ वाली नई इमारतों के निर्माण जैसी व्यावसायिक गतिविधियाँ विखंडन और आवासों के विनाश का गंभीर खतरा पैदा करती हैं।प्रजातियों का दीर्घकालिक अस्तित्व व्यवहार्य आवासों को बनाए रखने और गलियारों को जोड़ने पर निर्भर करता है जो प्रजातियों के जीन पूल में भिन्नता बनाए रखते हैं और आवास विखंडन और प्रजातियों के अलगाव से जुड़े अन्य जोखिमों से बचते हैं।समय के साथ, ए सहित कई पर्यावरण कानून

जी.

एच.

275

आतिथ्य ए. एस. एस. एन. मुदमलाई बनाम पर्यावरण और जानवरों की रक्षा ए

भारतीय वन अधिनियम, **1927** और वन्यजीव अधिनियम को पारिस्थितिक संतुलन सुनिश्चित करने और ऐसे गलियारों सहित प्राकृतिक आवासों के संरक्षण की दृष्टि से वनों और जंगली जानवरों की सुरक्षा प्रदान करने के लिए अधिनियमित किया गया है। तमिलनाडु के सिगुर पठार में गलियारा पश्चिमी और पूर्वी घाटों को जोड़ता है और हाथियों की आबादी और उनकी आनुवंशिक विविधता को बनाए रखता है।सिगुर पठार के दक्षिण-पश्चिम की ओर नीलगिरी पहाड़ियाँ और उत्तर-पूर्व की ओर मोयर नदी घाटी है।मानसून के आधार पर हाथी भोजन और पानी की तलाश में पलायन करते हैं और अपने प्रवास के दौरान उन्हें सिगुर पठार को पार करना पड़ता है।यह प्रवासी मार्ग बहुत महत्वपूर्ण माना जाता है क्योंकि यह भारत के सबसे बड़े संरक्षित वन क्षेत्र तमिलनाडु, कर्नाटक और केरल राज्यों में नीलगिरी बायोस्फीयर रिजर्व बनाने वाले कई सन्निहित वन क्षेत्रों को जोड़ता है। **[**पारस **35-37] [292-**एच**; 293-**ए**-**सी**; 294-**बी**-**सी**]**

ग

बिहार राज्य बनाम मुराद अली खान (1988) 4 एससीसी 655:[1988] 3 पूरक।एस. सी. आर. 455-पर निर्भर।

डी.

1.3 इस गलियारे के परस्पर विरोधी नक्शे मद्रास उच्च न्यायालय के समक्ष प्रस्तुत किए गए थे**,** जिसने इस प्रकार राज्य सरकार को इनमें से किसी एक को चुनने का निर्देश दिया:**(i)** वाइल्डलाइफ ट्रस्ट ऑफ इंडिया की पुस्तक "राइट ऑफ पैसेज**-**एलिफेंट कॉरिडोर ऑफ इंडिया" में पहचाने गए हाथी गलियारों का उल्लेख केंद्र सरकार द्वारा राज्य सरकार को लिखे अपने पत्र में किया गया था**;** या **(ii)** उच्च न्यायालय द्वारा नियुक्त विशेषज्ञ समिति द्वारा पहचाने गए एकल हाथी गलियारे का उल्लेख किया गया था।"राइट ऑफ पैसेज" नामक उपरोक्त पुस्तक के अनुसार**,** निम्नलिखित **4** गलियारे सिगुर पठार क्षेत्र में स्थित हैं:**(i)** अवराहल्ला**-**सिगुर**, (ii)** ग्लेनकोरिन में कलहट्टी**-**सिगुर**, (iii)** मोयर**-**अवराहल्ला और **(iv)** कलमलई**-**सिंगारा और अवराहल्ला।विशेषज्ञ समिति ने क्षेत्र के सभी हाथी गलियारों की जांच की और सिगुर पठार क्षेत्र में विभिन्न हाथी गलियारों वाले एकल हाथी गलियारे की पहचान की।राज्य सरकार ने विवादित जी**.** ओ**.** के माध्यम से विशेषज्ञ समिति द्वारा की गई सिफारिशों के अनुरूप इस एकल हाथी गलियारे को अधिसूचित किया।**[**पैरा **38] [294-**डी**-**एफ**]**

ई.

च

जी.

1.4 राज्य सरकार को प्रविष्टियाँ **17** ए 'वन' और **17** बी 'जंगली जानवरों और वन्यजीवों के संरक्षण' के आलोक में अपने क्षेत्र में आने वाले वनों और वन्यजीवों की रक्षा के लिए उपाय करने का अधिकार है।

एच.

पक्षियों की समवर्ती सूची और वन्यजीव अधिनियम के तहत अभयारण्यों और अन्य संरक्षित क्षेत्रों को अधिसूचित करने की राज्य सरकार की शक्ति।यह एक स्वीकृत स्थिति है कि अपीलकर्ताओं की भूमि को **1991** में तमिलनाडु निजी वन संरक्षण अधिनियम**, 1949** के तहत निजी वन के रूप में अधिसूचित किया गया है**,** जो निजी वनों में पेड़ों को काटने पर प्रतिबंध लगाता है।यह देखते हुए कि अपीलार्थियों की भूमि का निजी वन भूमि के रूप में वर्गीकरण यहां विवाद में नहीं है**,** यह मानने में कोई कठिनाई नहीं है कि राज्य सरकार को एक हाथी गलियारे को अधिसूचित करके अपीलार्थियों की भूमि पर स्थित आवासों की रक्षा करने का अधिकार था।**[**पैरा **39] [295-**एच**; 295-**ए**-**सी**]**

ग

1.5 इसके अलावा**,** उच्च न्यायालय के विवादित फैसले के बाद से**,** पर्यावरण**,** वन और जलवायु परिवर्तन मंत्रालय ने अपनी अधिसूचना एस**.** ओ**. 4498 (**ई**)** दिनांक **13.12.2019** के माध्यम से मुदुमलाई बाघ अभयारण्य के आसपास के पूरे क्षेत्र और आसपास के क्षेत्रों को पर्यावरण के प्रति संवेदनशील क्षेत्र घोषित किया है।इस अधिसूचना के तहत**,** तमिलनाडु राज्य सरकार को इस तरह से स्थापित पर्यावरण**-**संवेदनशील क्षेत्र में आम तौर पर भूमि उपयोग के साथ**-**साथ विशेष रूप से होटलों/रिसॉर्ट्स की वाणिज्यिक स्थापना को विनियमित करने का स्पष्ट निर्देश दिया गया है।"सावधानी सिद्धांत" को देश के कानून के एक हिस्से के रूप में स्वीकार किया गया है।भारत के संविधान के अनुच्छेद **21,47,48** ए और **51** ए **(**जी**)** राज्य को पर्यावरण की रक्षा और सुधार करने और देश के वनों और वन्यजीवों की रक्षा करने के लिए एक स्पष्ट जनादेश देते हैं।यह भारत के प्रत्येक नागरिक का कर्तव्य है कि वह वनों और वन्यजीवों सहित प्राकृतिक पर्यावरण की रक्षा करे और उसमें सुधार करे और जीवित प्राणियों के प्रति करुणा रखे।एहतियाती सिद्धांत राज्य सरकार के लिए पर्यावरण क्षरण के कारणों का अनुमान लगाना**,** उन्हें रोकना और उन पर हमला करना अनिवार्य बनाता है।सिगुर पठार क्षेत्र में हाथियों की आबादी की रक्षा के लिए**,** राज्य सरकार के लिए हाथी गलियारे के भीतर आने वाले क्षेत्रों में वाणिज्यिक गतिविधियों को सीमित करना आवश्यक और उचित था।**[**पैरा **40] [295-**डी**-**जी**]**

डी.

ई.

च

जी.

एम. सी. मेहता बनाम भारत संघ और अन्य। (1997) 3 एससीसी

715 :[1996] 7 पूरक।एस**.** सी**.** आर**. 465-**निर्भर।

1.6 अपीलार्थियों की प्रस्तुतियों के दूसरे अंग में विशेषज्ञ समिति की रिपोर्ट की वैज्ञानिक सटीकता के बारे में प्रश्न और तर्क शामिल हैं कि आयामों के साथ-साथ ए

एच.

277

आतिथ्य ए. एस. एस. एन. मुदमलाई बनाम पर्यावरण और जानवरों की रक्षा ए

क्योंकि उसमें पहचाने गए एकल गलियारे का स्थान आधिकारिक वैज्ञानिक प्रकाशनों के विपरीत है।अपीलार्थियों द्वारा यह तर्क दिया गया है कि उनके रिसॉर्ट और अन्य प्रतिष्ठान इन प्रकाशनों में पहचाने गए ऐतिहासिक गलियारों के भीतर नहीं आते हैं।इन दावों को उच्च न्यायालय द्वारा निपटाया गया था जिसमें कहा गया था कि हाथियों की उपस्थिति के साथ-साथ मानव-हाथी संघर्ष की पिछली घटना को दिखाने के लिए रिकॉर्ड पर सामग्री थी, जिसके परिणामस्वरूप उस क्षेत्र में एक फ्रांसीसी पर्यटक की मौत हो गई थी, जहां अपीलकर्ताओं के रिसॉर्ट स्थित हैं।उच्च न्यायालय ने यह भी कहा कि अपीलकर्ताओं के रिसॉर्ट्स के आसपास के क्षेत्रों से हाथियों की अनुपस्थिति, वास्तव में, अपीलकर्ताओं की निर्माण गतिविधियों के कारण थी, जिसके तहत बिजली की बाड़ लगाने के माध्यम से हाथियों की पहुंच को प्रतिबंधित किया गया है।न्यायालय उच्च न्यायालय के उपरोक्त तथ्यात्मक निष्कर्षों में हस्तक्षेप करने का कोई कारण नहीं देखता है और राज्य सरकार द्वारा विवादित जी**.** ओ**.** के माध्यम से उच्च न्यायालय द्वारा नियुक्त विशेषज्ञ समिति की सिफारिशों को अपनाने में भी दोष नहीं पाता है। **[**पैरा **41] [296-**ए**-**डी**]**

1.7 अपीलकर्ताओं ने तर्क दिया है कि विशेषज्ञ समिति की रिपोर्ट द्वारा अधिग्रहण के लिए अनुशंसित रकबे और विवादित जी**.** ओ**.** में रकबे के बीच पर्याप्त अंतर रहा है। आगे यह भी आरोप लगाया गया है कि राज्य सरकार द्वारा गलियारे की अधिसूचना पर आपत्तियां आमंत्रित करने वाले समाचार पत्र के विज्ञापन में रकबा भी विवादित जी**.** ओ**.** में रकबे से अलग है। क्योंकि उक्त समाचार पत्र के विज्ञापन के अनुसार प्राप्त सभी आपत्तियों को राज्य सरकार द्वारा खारिज कर दिया गया था और चूंकि विवादित जी**.** ओ**.** ने विशेषज्ञ समिति की सिफारिशों को अपनाया था, इसलिए अपीलकर्ताओं का आरोप है कि रकबे में उक्त अंतर मनमाना और अनुचित है।यह भी आरोप लगाया गया है कि जिला कलेक्टर, नीलगिरी ने अनुमोदन और स्वामित्व दिखाने के लिए अपीलकर्ता रिसॉर्ट्स द्वारा प्रस्तुत दस्तावेजों को अस्वीकार करने के बाद उनके रिसॉर्ट्स को सील करने में मनमाने ढंग से काम किया है।इसी तरह, यह आरोप लगाया गया है कि जिला कलेक्टर ने इस अदालत के दिनांक **1** के आदेश के दायरे से परे चले गए जिसमें बिजली की बाड़ और कांटेदार तार को तुरंत हटाने का निर्देश दिया गया था।यह अपीलार्थियों का मामला है कि गैर-विद्युत बाड़ के साथ-साथ अधिसूचित हाथी गलियारा क्षेत्र से परे बाड़ को जिला कलेक्टर द्वारा हटा दिया गया था। इसकी सच्चाई स्थापित करने के लिए जांच करना उचित और उचित है।

ग

डी.

ई.

च

जी.

एच.

अपीलार्थियों की उपरोक्त तथ्यात्मक आपत्तियाँ।इसलिए**,** अपीलार्थियों और जिला कलेक्टर**,** नीलगिरी के कार्यों से व्यथित होने का दावा करने वाले किसी भी अन्य व्यक्ति की व्यक्तिगत आपत्तियों पर निर्णय लेने के लिए एक **3-**सदस्यीय जांच समिति नियुक्त की जाती है**,** जो विवादित जी**.** ओ**.** के अनुसार है और जैसा कि उसकी कार्य योजना रिपोर्ट और उसकी दोहरी कार्रवाई रिपोर्ट के माध्यम से अदालत के समक्ष दर्ज किया गया है**,** साथ ही साथ विवादित जी**.** ओ**.** के तहत हाथी गलियारे के क्षेत्रफल में मनमाने ढंग से भिन्नता के आरोपों पर भी निर्णय लेती है। **[**पारस **42,43] [296-**ई**-**एच**; 297-**ए**-**डी**]**

टी. एन. गोडावर्मन थिरुमुल्कपद बनाम भारत संघ

(1997) 2 एससीसी **267:[1996] 9** पूरक।एस**.** सी**.** आर**. 982-**संदर्भित।

ग

निर्णीत विधि संदर्भ

[1988] 3 पूरक।एससीआर **455**

पर भरोसा किया

पैरा **36**

[1996] 9 पूरक।एससीआर **982**

संदर्भित किया गया है

पैरा **39**

डी.

[1996] 7 पूरक।एससीआर **465**

पर भरोसा किया

पैरा **40**

सिविल अपीलीय न्यायनिर्णयः2020 की सिविल अपील संख्या 3438-3439।

2008 की रिट याचिका संख्या 10098 और 2010 की 23939 में मद्रास में उच्च न्यायालय के निर्णय और आदेश दिनांक 07.04.2011 से।

ई.

सह

सिविल अपील सं. 3437,3440,3442-3443,3444,3445,3447,3448-3449,3450-51,3446,3452,3453,3454,3453,3453,3453,3460,3461,3462,3463,3464,3465,3466,3467,3468,3469,3476,3477,3470,3473,3475,3474 2020 की।

च

जयंत मुथुराज, सीनियर एड. (ए. ए. जी.), राजू रामचंद्रन, वरिष्ठ अधिवक्ता, राहुल श्याम भंडारी, सेंथिल जगदीशन, श्रीधर पोटाराजू, सुश्री शिवानी तुशीर, विष्णु तुलसी मेनन, त्रिदीप पेस, सुश्री सान्या कुमार, एन. के. वर्मा, सुश्री अंजना चंद्रशेखर, सुश्री दीक्षा राय, पी. सोमा सुंदरम, नवीन कुमार, विकास मेहता, जुल्फिकार अली पी. एस., वी. बालचंद्रन, कौस्तुभ शुक्ला, अभय सिंह, एस. रविशंकर, Ms.Yamunah नचैर, शशि भूषण कुमार, दीपायन मंडल, जनेजय गिरिधर, शकील अहमद सैयद, के. वी. मोहन, के. वी. बालकृष्णन,

जी.

एच.

279

आतिथ्य ए. एस. एस. एन. मुदमलाई बनाम पर्यावरण और जानवरों की रक्षा ए

कृष्णा, सुदर्शन मेनन, श्रीमती ललिता कौशिक, सुश्री एन. अन्नपूरानी, जी. बालाजी, एम. योगेश कन्ना, राजराजेश्वरन, सुश्री अपर्णा भट, गुरमीत सिंह मक्कर, बी. बालाजी, बी. कृष्ण प्रसाद, विनोद कन्ना बी., के. वी. विजयकुमार, पी. ए. नूर मुहम्मद, अन्नम डी. एन. राव, बी. कृष्ण प्रसाद, सुश्री मयूरी रघुवंशी, अधिवक्ता।उपस्थित दलों के लिए।व्यक्तिगत रूप से कैविएटर।

न्यायालय का निर्णय इसके द्वारा दिया गया था

एस**.** अब्दुल नजीर**,** जे**.**

1 . अनुमति प्रदान की गई.

ग

2. इन अपीलों में अपीलकर्ताओं ने मद्रास में उच्च न्यायालय के अंतिम निर्णय और 2008 की रिट याचिका (पी. आई. एल.) संख्या 10098 में पारित आदेश के साथ-साथ 2010 की समीक्षा आवेदन संख्या 131 और मुदुमलाई के आतिथ्य संघ द्वारा दायर 2010 की रिट याचिका सहित कई अन्य रिट याचिकाओं पर हमला किया है।उच्च न्यायालय ने विवादित फैसले द्वारा तमिलनाडु सरकार की अधिसूचना जी. ओ. (सुश्री) की वैधता को बरकरार रखा है। No.125, दिनांक 31.08.2010, जिसने नीलगिरी जिले के सिगुर पठार में एक 'हाथी गलियारे' को अधिसूचित किया था और आगे रिसॉर्ट मालिकों और अन्य निजी भूमि मालिकों को अधिसूचित हाथी गलियारे के भीतर आने वाली भूमि के खाली कब्जे को खाली करने और जिला कलेक्टर, नीलगिरी को फैसले की तारीख से तीन महीने के भीतर सौंपने का निर्देश दिया है।3. सिविल अपील Nos._____2020 (2011 के SLP (C) Nos.17313-17314 से उत्पन्न) में अपीलार्थी, तमिलनाडु सोसायटी पंजीकरण अधिनियम, 1975 के तहत पंजीकृत मुदुमलाई का आतिथ्य संघ है, जो तमिलनाडु के नीलगिरी जिले में स्थित है। इस संघ के सदस्यों ने नीलगिरी वन क्षेत्र में रिसॉर्ट/अतिथि गृह स्थापित किए हैं।अन्य अपीलकर्ता या तो रिसॉर्ट/अतिथि गृहों के मालिक हैं या नीलगिरी वन क्षेत्र में और उसके आसपास की भूमि के मालिक हैं।उनमें से कुछ ने अपनी भूमि पर आवास बनाए हैं, उनमें से कुछ ने सरकारी भूमि पर अतिक्रमण किया है और उस पर निर्माण किया है और उनमें से कुछ उक्त भूमि पर खेती कर रहे हैं।

डी.

ई.

च

जी.

4. उच्च न्यायालय और इस न्यायालय के समक्ष कार्यवाही का उल्लेख करने के साथ-साथ पक्षों के लिए विद्वान वकील द्वारा की गई प्रस्तुतियों का उल्लेख करने से पहले, पृष्ठभूमि के तथ्यों और प्रचलित पारिस्थितिक संदर्भ का उल्लेख करना सहायक होगा जिसमें विवादित जी. ओ. को अधिसूचित किया गया था।

एच.

ए. पृष्ठभूमि

5. पारंपरिक सांस्कृतिक सम्मान की हस्ती होने के बावजूद, आज भारत में हाथी की प्रजाति को गंभीर रूप से खतरा है।समस्या की जड़ वह है जो देश के सभी वन्यजीवों को प्रभावित करती हैःभूमि।जैसे-जैसे पिछले कई दशकों में भारत की मानव आबादी में तेजी से वृद्धि हुई है, वैसे-वैसे संसाधनों की मांग भी बढ़ी है।इसके सार में, यह मांग अधिक भूमि की आवश्यकता पर निर्भर करती है-कृषि के लिए अधिक भोजन उगाने और सड़कों, बांधों, खानों, रेलवे और आवास के निर्माण के लिए।भूमि की इस मांग के कारण देश के वन क्षेत्र का क्षरण और विखंडन हुआ है।हाथी, एक बड़ा कृषि पशु होने के नाते, इसका वजन 4-5 टन तक हो सकता है और प्रतिदिन विभिन्न पौधों की प्रजातियों से युक्त लगभग 1 किलोग्राम चारे की आवश्यकता होती है।इसलिए, इसे बड़े क्षेत्रों की आवश्यकता होती है, जिसका उपयोग यह बारी-बारी से करता है, ताकि यह किसी क्षेत्र को अधिक चराई न दे और इस प्रक्रिया में इसे पूरी तरह से नष्ट न कर सके।यह आवासों की प्राकृतिक वनस्पति को फिर से उत्पन्न करने का मौका देता है।

ग

6. हालाँकि, हमारी बड़ी आबादी की भूमि, बुनियादी ढांचे और ऊर्जा आवश्यकताओं की लगातार बढ़ती आवश्यकता ने धीरे-धीरे हाथी के प्राकृतिक स्थानों को विभाजित कर दिया है जो अब मानव निवास, कृषि, खनन, सड़कों और रेलवे से घिरे हुए हैं। जितना अधिक वन आवास खंडित होता है, हाथी के झुंड को भोजन और पानी की तलाश में उतना ही दूर घूमना पड़ता है। हाथियों को तेजी से दूर और दूर जाना पड़ता है, यहां तक कि एक वन क्षेत्र से दूसरे वन क्षेत्र में, अक्सर गलियारों नामक जंगलों के छोटे हिस्सों के माध्यम से।जैसे-जैसे वन भूमि नष्ट होती जा रही है, वनस्पति के ये अपेक्षाकृत संकीर्ण और रैखिक क्षेत्र बड़े वन क्षेत्रों के बीच महत्वपूर्ण प्राकृतिक आवास संबंध बनाते हैं।वे हाथियों को मनुष्यों द्वारा परेशान किए बिना, सुरक्षित आवासों के बीच स्वतंत्र रूप से घूमने देते हैं।इसके अलावा, हाथियों को आनुवंशिक रूप से प्रकृति द्वारा प्रोग्राम किया जाता है ताकि वे अपने जन्म परिवार के भीतर कभी भी प्रजनन न कर सकें और इस प्रकार उन्हें प्रजनन के लिए जीन पूल के बीच घूमना पड़ता है।ये गलियारे विभिन्न हाथियों की आबादी को आपस में मिलाने में मदद करके इस प्रक्रिया में सहायता करते हैं, जो प्रजातियों की शक्ति को बनाए रखने और इसके दीर्घकालिक अस्तित्व को सुनिश्चित करने के लिए आवश्यक है।इस तरह के गलियारों की पहचान करके और उनका पोषण करके, वन्यजीवों के कल्याण की रक्षा करने के अलावा, मनुष्यों और हाथियों के बीच घातक टकराव से बचा जा सकता है।दुर्भाग्य से, अधिकांश क्षेत्रों में, मौजूदा गलियारों को बार-बार नष्ट किया जा रहा है जो हाथियों के प्रवास मार्गों को अवरुद्ध कर देगा और इसके परिणामस्वरूप आवासों के विखंडन के साथ-साथ मानव-हाथी संघर्ष में वृद्धि होगी।

डी.

ई.

च

जी.

एच.

281

आतिथ्य ए. एस. एस. एन. मुदमलाई बनाम पर्यावरण और जानवरों की रक्षा [एस. अब्दुल नजीर, जे.] ए.

7. इस तरह के संघर्ष को रोकने और हाथियों की सुरक्षा के लिए, भारत सरकार ने तत्कालीन पर्यावरण और वन मंत्रालय के माध्यम से एक केंद्र प्रायोजित योजना 'प्रोजेक्ट एलिफेंट' शुरू की, ताकि राज्यों द्वारा जंगली हाथियों की स्वतंत्र आबादी के लिए वन्यजीव प्रबंधन प्रयासों को वित्तीय और तकनीकी सहायता प्रदान की जा सके।'प्रोजेक्ट एलिफेंट' दस्तावेज़ वर्ष 1993 में जारी किया गया था।यह स्वीकार करता है कि हाथियों को बड़े पैमाने पर विनाश और मानव और मवेशियों की आबादी में वृद्धि, प्राकृतिक वनों की कटाई और उन्हें एकल प्रजाति के साथ बदलने, वाणिज्यिक वृक्षारोपण, अत्यधिक चराई, जंगल की आग और स्थानांतरित खेती, फसल पर हमले के लिए विनाश या कब्जा, मानव हत्या, अतिक्रमण और मानव निर्मित बाधाओं/विनाश जैसे सड़कों, रेलवे लाइनों, बांधों, नहरों, चाय बागानों, कृषि और उद्योग आदि के कारण अपने निवास स्थान के विखंडन के कारण गंभीर खतरे का सामना करना पड़ रहा है। 'प्रोजेक्ट एलिफेंट' का उद्देश्य देश के प्रमुख हाथी वाले राज्यों को वित्तीय और तकनीकी सहायता प्रदान करना था।इस परियोजना का उद्देश्य हाथियों, उनके आवासों और प्रवास गलियारों की रक्षा करके उनके प्राकृतिक आवासों में हाथियों की व्यवहार्य संरक्षण निर्भर आबादी के दीर्घकालिक अस्तित्व को सुनिश्चित करना है।'प्रोजेक्ट

एलिफेंट' के अन्य लक्ष्यों में मानव-पशु संघर्ष के मुद्दों को संबोधित करना और बंदी हाथियों के कल्याण का प्रावधान करना शामिल है।इस परियोजना के तहत मुख्य गतिविधियों में निम्नलिखित शामिल हैं:

क.

ग

डी.

1. हाथियों के मौजूदा प्राकृतिक आवासों और प्रवासी मार्गों की पारिस्थितिक बहाली;

ई.

2. भारत में हाथियों के आवास और व्यवहार्य हाथियों की आबादी के संरक्षण के लिए वैज्ञानिक प्रबंधन योजना का विकास;

3. महत्वपूर्ण आवासों में मानव-हाथी संघर्ष को कम करने के उपायों को बढ़ावा देना।

च

4. हाथियों के महत्वपूर्ण आवासों में मानव और घरेलू पशुधन गतिविधियों का मध्यम प्रभाव;

5. शिकारियों और मृत्यु के अप्राकृतिक कारणों से जंगली हाथियों की सुरक्षा के उपायों को मजबूत करना।

जी.

6. हाथी प्रबंधन से संबंधित मुद्दों पर अनुसंधान;

7. हाथियों के बारे में सार्वजनिक संरक्षण शिक्षा और जागरूकता कार्यक्रम;

8. हाथियों के आवासों का पारिस्थितिकी विकास; और

एच.

9. हाथियों के लिए बेहतर पशु चिकित्सा देखभाल का प्रावधान।

8. विशेष रूप से तमिलनाडु में हाथी संरक्षण के संदर्भ में, राज्य के प्रधान मुख्य वन संरक्षक और मुख्य वन्यजीव वार्डन ('पी. सी. सी. एफ.') ने अनुरोध किया था कि मुदुमलाई वन्यजीव अभयारण्य और राष्ट्रीय उद्यान के बीच अन्य हिस्सों और पूर्वी और पश्चिमी घाटों के बीच हाथियों के पारंपरिक आवागमन गलियारों को बनाने वाली निजी/पट्टा भूमि को मालिकों को मुआवजा देने के बाद भूमि का अधिग्रहण करके वन विभाग के नियंत्रण में लाया जाए।पीसीसीएफ ने हाथियों की मुक्त आवाजाही के लिए एक गंभीर खतरे के रूप में गैर-वानिकी उपयोग के लिए निजी वन भूमि के इन हिस्सों के उपयोग पर प्रकाश डाला था, जो महत्वपूर्ण प्रवासी मार्गों के रूप में काम करते हैं।पी. सी. सी. एफ. ने हाथी गलियारों के उद्देश्य से अधिग्रहित की जाने वाली पट्टा भूमि के सर्वेक्षण संख्या का प्रस्ताव करते हुए राज्य सरकार को दिनांकित एक अन्य पत्र संबोधित किया।इसी तरह, भारत सरकार के पर्यावरण और वन मंत्रालय ने तमिलनाडु राज्य सरकार को लिखे अपने पत्र में उल्लेख किया था कि वाइल्डलाइफ ट्रस्ट ऑफ इंडिया की पुस्तक "राइट ऑफ पैसेज-एलिफेंट कॉरिडोर ऑफ इंडिया" द्वारा 88 हाथी गलियारों की पहचान की गई थी और अनुरोध किया था कि तमिलनाडु में स्थित हाथी गलियारों की अधिसूचना और सुरक्षा के लिए आवश्यक कार्रवाई की जाए, जैसा कि उपरोक्त प्रकाशन में पहचाना गया है।

ग

डी.

9. इस संचार के अनुसरण में, तमिलनाडु सरकार ने दिनांक 21.08.2007 पर एक सरकारी आदेश जारी किया, जिसमें नीलगिरी के कलेक्टर को अध्यक्ष के रूप में एक अन्वेषणात्मक समिति नियुक्त की गई और चार अन्य सदस्यों में जिला वन अधिकारी, नीलगिरी उत्तर प्रभाग, वन्यजीव वार्डन, ऊटी, राजस्व विभाग के अधिकारी, ऊटी और संबंधित तहसीलदार शामिल थे।इस समिति का गठन उन किसानों की इच्छा के साथ पट्टा भूमि के अधिग्रहण की संभावना तलाशने के लिए किया गया था जो हाथी गलियारों के लिए अधिग्रहण के लिए अपनी भूमि छोड़ सकते थे।

ई.

च

B. मद्रास उच्च न्यायालय के समक्ष कार्यवाही

10. इस अवधि के दौरान, 'पर्यावरण और जानवरों की रक्षा' नामक एक संगठन, जिसका प्रतिनिधित्व उसके प्रबंध न्यासी 'हाथी' जी. राजेंद्रन ने किया, ने मद्रास उच्च न्यायालय के समक्ष 2008 की रिट याचिका दायर की जिसमें आधिकारिक उत्तरदाताओं को हाथी गलियारों को अतिक्रमण से मुक्त रखने और हाथियों और अन्य जानवरों की मुक्त आवाजाही में किसी भी अन्य गड़बड़ी को रोकने का निर्देश देते हुए एक रिट ऑफ मैंडमस जारी करने की मांग की गई।यह याचिकाकर्ता का विशिष्ट मामला था कि हाथी गलियारे को ए द्वारा बाधित किया जा रहा था

जी.

एच.

283

आतिथ्य ए. एस. एस. एन. मुदमलाई बनाम पर्यावरण और जानवरों की रक्षा [एस. अब्दुल नजीर, जे.] ए.

कुछ अतिक्रमणकारी और बिल्डर।रिसॉर्ट्स के बढ़ने के कारण, हाथियों के गलियारे या तो बंद हो गए थे या संकीर्ण हो गए थे।यह भी तर्क दिया गया कि वन विभाग ने हाथी गलियारे से अतिक्रमणकारियों को हटाने के लिए कोई कड़ी कार्रवाई नहीं की है। 02.02.2009 पर, उच्च न्यायालय ने जिला कलेक्टर, नीलगिरी को एक अंतरिम निर्देश पारित किया कि वे हाथी गलियारे के तहत आने वाली भूमि से अतिक्रमणकारियों को हटाने के लिए उठाए गए कदमों को दर्शाते हुए एक स्थिति रिपोर्ट दायर करें।

11. अनुसूचित जनजातियों और अन्य पारंपरिक वनवासियों द्वारा कुछ अन्य रिट याचिकाएं दायर की गई थीं, जिसमें तर्क दिया गया था कि वे अतिक्रमणकारी नहीं थे और उन्हें अनुसूचित जनजाति और अन्य पारंपरिक वनवासी (वन अधिकारों की मान्यता) अधिनियम, 2006 के तहत विचाराधीन भूमि पर कब्जा करने का अधिकार था।यह आगे तर्क दिया गया कि 2008 की रिट याचिका No.10098 में दिनांकित 02.02.2009 के आदेश के बल पर, जिला कलेक्टर ने उन्हें इन भूमि की खेती को रोकने का निर्देश दिया था और उन्हें लघु वन उपज के संग्रह और उनके मवेशियों को चराने से रोका जा रहा था।इन रिट याचिकाओं को मद्रास उच्च न्यायालय के समक्ष सुनवाई के लिए एक साथ जोड़ा गया था।

ग

डी.

12. इस स्तर पर, मुदुमलाई के आतिथ्य संघ, यहाँ अपीलार्थी ने उक्त मामले में एक अभियोग आवेदन दायर किया।यह तर्क दिया गया था कि इस संघ में मासिंगुडी बोक्कापुरम क्षेत्र के निवासी शामिल थे और वे वन्यजीवों को देखने के लिए क्षेत्र में आने वाले पर्यटकों को आतिथ्य सेवाएं प्रदान कर रहे थे और इस क्षेत्र में अतिथि गृहों के मालिक और चलाने वाले लोगों के प्रति शत्रुता की एक गुमराह भावना थी।यह भी तर्क दिया गया कि उक्त संघ के सदस्य उक्त क्षेत्र में वर्षों से अधिक समय से रह रहे थे

और इस क्षेत्र में वस्तुतः कोई मानव-पशु संघर्ष नहीं हुआ था क्योंकि बहुत कम या कोई कृषि नहीं है और हाथी पूरे क्षेत्र में स्वतंत्र रूप से घूम सकते हैं।

ई.

च

13. सुनवाई के दौरान, नीलगिरी उत्तर मंडल के जिला वन अधिकारी ने क्षेत्र में जंगलों और गलियारों के महत्व को उजागर करने के लिए उच्च न्यायालय के समक्ष एक प्रस्तुति दी।जिला कलेक्टर, नीलगिरी भी उच्च न्यायालय के समक्ष पेश हुए और अपने कंप्यूटर पर हाथियों के गलियारे के मानचित्र को दर्शाने वाली कुछ स्लाइडें दिखाईं।उन्होंने कहा कि हाथियों को गलियारे से गुजरने की अनुमति देने के लिए, अनधिकृत रहने वालों को बेदखल करना पड़ा।इसी तरह, राज्य के पी. सी. सी. एफ. ने भी पट्टा भूमि के अधिग्रहण द्वारा हाथी गलियारे के संरक्षण की आवश्यकता को उजागर करने के लिए उच्च न्यायालय के समक्ष प्रस्तुतियाँ दीं।

जी.

एच.

पक्षों की प्रतिद्वंद्वी दलीलों को ध्यान में रखते हुए, 30.09.2008 पर, उच्च न्यायालय ने निम्नलिखित निर्देश जारी किएः

" (i) वन विभाग, जिसे गलियारे में हाथियों की आवाजाही की जानकारी है, उसकी पहचान कर सकता है और उसे सूचित कर सकता है।

(ii) राज्य सरकार हाथी गलियारे और क्षेत्र के बारे में जानकारी, प्रमुख समाचार पत्रों में और ड्रम बीटिंग/टॉम टॉम द्वारा भी प्रकाशित कर सकती है, जिसमें स्थानीय लोगों, यदि कोई हो, की आपत्तियों का आह्वान किया जा सकता है; (iii) स्थानीय लोगों को सुनने के बाद, विशेष रूप से जो प्रभावित हो सकते हैं, वे हाथी गलियारे को अंतिम रूप दे सकते हैं जिससे अनधिकृत रूप से रहने वालों को बेदखल किया जाना है।

ग

(iv) यह सुनिश्चित करने के लिए कि अनुसूचित जनजातियाँ और अन्य पारंपरिक वनवासी प्रभावित न हों, अनुसूचित जनजातियाँ और अन्य पारंपरिक वनवासी (वन जनजातियों की मान्यता) नियम, 2007 के अनुसार अन्य पारंपरिक वनवासियों की पहचान करना आवश्यक है; (v) सिफारिश और उपयुक्त रजिस्टर में उनके नाम दर्ज करने के बाद ही, वे अखबार में नोटिस देकर, ढोल पीटकर/टॉम टॉम करके और अनधिकृत निवासियों को व्यक्तिगत नोटिस देकर बेदखली के साथ आगे बढ़ सकते हैं।

डी.

ई.

(vi) जहाँ तक भूमि अधिग्रहण का संबंध है, यदि किसी निजी भूमि का अधिग्रहण करने की आवश्यकता है, तो उन्हें भूमि अधिग्रहण अधिनियम के तहत प्रक्रिया का पालन करना होगा। प्रथम दृष्टया, आदिवासियों और अन्य वनवासियों को अनधिकृत भूमि से बेदखल नहीं किया जा सकता है, इसलिए उनकी भूमि का अधिग्रहण करने की आवश्यकता नहीं है, अगर यह वन भूमि है।पक्षों के विद्वान वकीलों से अनुरोध है कि वे जनता और हाथियों के हित में इस मामले में आगे का सुझाव दें।"

च

जी.

14. चूंकि चुनाव लड़ने वाले दलों द्वारा जिला कलेक्टर द्वारा तैयार किए गए नक्शे का विरोध किया गया था, इसलिए अदालत ने यह आवश्यक महसूस किया कि हाथी गलियारे की पहचान करने और हाथी गलियारों के संबंध में प्रकाशित विभिन्न पुस्तकों पर विचार करने के बाद एक रिपोर्ट प्रस्तुत करने के लिए पर्यावरण और वन विभाग के विशेषज्ञों की एक टीम का गठन किया जाए।

एच.

285

आतिथ्य ए. एस. एस. एन. मुदमलाई बनाम पर्यावरण और जानवरों की रक्षा [एस. अब्दुल नजीर, जे.] ए.

क.

15. उच्च न्यायालय के निर्देशों के अनुसरण में, सरकार द्वारा एक विशेषज्ञ समिति का गठन किया गया था।विशेषज्ञ समिति ने नीलगिरी में हाथी गलियारा क्षेत्र का दो बार दौरा किया, क्षेत्र के क्षेत्रीय अधिकारियों और आदिवासियों से पूछताछ की और 04.11.2009 पर अपनी रिपोर्ट प्रस्तुत करने से पहले विशेषज्ञों से राय प्राप्त की।नीलगिरी क्षेत्र के सिगुर पठार में हाथी गलियारे का एक नक्शा भी उक्त विशेषज्ञ समिति द्वारा उच्च न्यायालय के समक्ष दायर किया गया था।यह देखते हुए कि राज्य सरकार अपने क्षेत्र के भीतर हाथी गलियारों को अधिसूचित करने के लिए जिम्मेदार थी, उच्च न्यायालय ने 01.12.2009 पर राज्य सरकार को हाथी गलियारे के लिए मानचित्रों में से एक को चुनने का निर्देश दिया, जिसे या तो विशेषज्ञ समिति द्वारा पहचाना गया था या जिसे भारतीय वन्यजीव ट्रस्ट के प्रकाशन "राइट ऑफ पैसेज-एलिफेंट कॉरिडोर ऑफ इंडिया" द्वारा पहचाना गया था, जिसका उल्लेख केंद्र सरकार के उपर्युक्त पत्र दिनांक 11.08.2006 में किया गया था।इस आदेश ने राज्य सरकार को हाथी गलियारे के रिसॉर्ट मालिकों और निवासियों के खिलाफ की जाने वाली कार्रवाई का खुलासा करते हुए एक हलफनामा दायर करने का भी निर्देश दिया।उच्च न्यायालय के निर्देशों के अनुसार, राज्य सरकार एक निर्णय के साथ आगे आई कि वह यह सुनिश्चित करेगी कि विशेषज्ञ समिति की रिपोर्ट में 'हाथी गलियारे' के रूप में दिखाए गए क्षेत्र में कोई अवैध निर्माण न हो और किसी भी व्यक्ति को हाथी गलियारे के प्रस्तावित क्षेत्र के भीतर ताजा सौर/विद्युत बाड़ लगाने की अनुमति नहीं दी जाएगी।अभिलेख पर सामग्री को ध्यान में रखते हुए, उच्च न्यायालय ने 03.12.2009 दिनांकित एक नया आदेश पारित किया जो इस प्रकार हैः

ग

डी.

ई.

“ (i) राज्य सरकार को यह तय करना होगा कि किस हाथी गलियारे की पहचान की जानी है, अर्थात राज्य वन विभाग और गैर सरकारी संगठनों की मदद से केंद्र सरकार द्वारा दिनांकित पत्र में पहचाने गए गलियारे या वर्तमान मामलों में विशेषज्ञ समिति द्वारा पहचाने गए प्रस्तावित हाथी गलियारे की पहचान अधिमानतः एक महीने के भीतर की जानी चाहिए।

च

(ii) हाथी गलियारे को दिखाने वाले ऐसे मानचित्र का प्रकाशन राज्य द्वारा वन विभाग के माध्यम से दो स्थानीय समाचार पत्रों में किया जाना चाहिए, एक अंग्रेजी में और दूसरा स्थानीय भाषा में तमिल में, जिसमें प्रस्तावित हाथी गलियारे के भीतर आने वाली निजी भूमि के सर्वेक्षण संख्या का विवरण दिया जाना चाहिए।व्यक्तियों को एक समय सीमा के भीतर, मान लीजिए एक महीने के भीतर अपनी आपत्तियां प्रस्तुत करने के लिए कहा जा सकता है।

जी.

एच.

(iii) विशेषज्ञ समिति की रिपोर्ट की एक प्रति के साथ इस तरह के प्रस्तावित हाथी गलियारे की सूचना प्रत्येक स्थानीय पंचायतों को भी भेजी जानी चाहिए, जो प्रस्तावित हाथी गलियारे के अंतर्गत आती हैं, ताकि स्थानीय लोगों को अपने स्वयं के गलियारे की जानकारी मिल सके, यदि वे चाहें।

(iv) किसी भी व्यक्ति को अलग से सुनवाई करने की आवश्यकता नहीं है, हालांकि "भूमि अधिग्रहण" मामलों में आम तौर पर एक सामूहिक सुनवाई की जा सकती है और ऐसी आपत्तियों को सुनने पर, विभिन्न सर्वेक्षण संख्या वाले मानचित्र सहित प्रस्तावित हाथी गलियारे को अंतिम रूप दिया जाना चाहिए और जल्द से जल्द प्रकाशित किया जाना चाहिए, मान लीजिए अधिकतम छह महीने के भीतर।

ग

(v) किसी भी व्यक्ति या किसी भी संघ को आम तौर पर मामले में हस्तक्षेप नहीं करना चाहिए।यदि उन्हें कोई आपत्ति है, तो वे संबंधित अधिकारियों के समक्ष मामला उठा सकते हैं।

डी.

23. इस तरह को अंतिम रूप देने पर, राज्य के लिए यह निर्णय लेने के लिए खुला रहेगाः(क) क्या हाथी गलियारे के अंतर्गत आने वाली निजी भूमि अनुसूचित जनजाति और अन्य पारंपरिक वनवासियों की नहीं है, जिनका अनुसूचित जनजाति और अन्य पारंपरिक वनवासी (वन अधिकारों की मान्यता) अधिनियम, 2006 के प्रावधानों के तहत अधिकार है और क्या ऐसी भूमि का अधिग्रहण किया जाना चाहिए।यदि भूमि अधिग्रहण का निर्णय लिया जाता है, तो वे भूमि अधिग्रहण अधिनियम के प्रावधानों के तहत निर्धारित नियमित प्रक्रियाओं का पालन करेंगे।

ई.

च

(ख) यदि राज्य सरकार, इस बीच, निजी वन के प्रबंधन को अपने हाथ में लेना चाहती है, तो वह तमिलनाडु निजी वन (प्रबंधन की धारणा) अधिनियम (1961 का एल. वी.) की धारा 3 के अनुसार ऐसा कर सकती है, ताकि हाथियों को भूमि अधिग्रहण होने तक बिना किसी बाधा के गलियारे से गुजरने में सक्षम बनाया जा सके।"

जी.

16. यहाँ यह ध्यान दिया जा सकता है कि उच्च न्यायालय द्वारा पारित 03.12.2009 के उपरोक्त आदेश को 2010 की विशेष अनुमति याचिका (सिविल) संख्या 14416-14422 के माध्यम से इस न्यायालय के समक्ष चुनौती दी गई थी, जिसका निपटारा निम्नलिखित शर्तों में 30.04.2010 के आदेश के माध्यम से किया गया थाः

एच.

287

आतिथ्य ए. एस. एस. एन. मुदमलाई बनाम पर्यावरण और जानवरों की रक्षा [एस. अब्दुल नजीर, जे.] ए.

क.

“ विशेष अनुमति याचिका दायर करने की अनुमति दी जाती है।देरी को माफ कर दिया गया।

याचिकाकर्ता के लिए विद्वान वकील और प्रतिवादी नं.1.

याचिकाकर्ता के विद्वान वकील का तर्क है कि यदि प्रस्तावित हाथी गलियारे स्थापित किए जाते हैं, तो याचिकाकर्ता गंभीर रूप से प्रभावित होगा क्योंकि उसकी भूमि उस क्षेत्र में आती है।

याचिकाकर्ता उस समिति से संपर्क करने के लिए स्वतंत्र होगा जो हाथी गलियारों को अंतिम रूप दे सकती है और उच्च न्यायालय से संपर्क करने और हस्तक्षेप की कार्यवाही की मांग करने के लिए भी स्वतंत्र होगी, हालांकि खंड पीठ ने पहले ही अन्य कार्यवाही के तहत संकेत दिया है कि किसी भी हस्तक्षेप की अनुमति नहीं है।

ग

उपरोक्त निर्देशों के साथ, विशेष अनुमति याचिकाओं का निपटारा किया जाता है।"

डी.

17. उच्च न्यायालय के निर्देशों के अनुसरण में, राज्य वन विभाग ने दिनांक 1 को एक सार्वजनिक सूचना जारी की, जिससे एक प्रस्तावित हाथी गलियारे को प्रकाशित किया गया, जैसा कि विशेषज्ञ समिति द्वारा पहचाना गया है, और जिन व्यक्तियों की निजी भूमि प्रस्तावित गलियारे के भीतर आ रही है, उन्हें आपत्तियां प्रस्तुत करने की आवश्यकता है।संबंधित अधिकारियों द्वारा सार्वजनिक सुनवाई भी की गई और विभिन्न व्यक्तियों द्वारा उठाई गई आपत्तियों को खारिज कर दिया गया।इसके बाद, राज्य सरकार ने विवादित जी. ओ. जारी किया, जिससे 07.01.2010 पर प्रकाशित हाथी गलियारे के नक्शे की पुष्टि हुई और उक्त गलियारे के भीतर आने वाले हाथी गलियारे और सर्वेक्षण संख्या की सीमाओं को भी निर्दिष्ट किया गया।

ई.

च

18. विवादित जी. ओ. को चुनौती देते हुए उच्च न्यायालय के समक्ष कई रिट याचिकाएं दायर की गईं। इन्हें अन्य लंबित रिट याचिकाओं और पी. आई. एल. के साथ जोड़ा गया और उच्च न्यायालय के विवादित आदेश दिनांक 07.04.2011 द्वारा तय किया गया।

19. उच्च न्यायालय ने विशेषज्ञ समिति के गठन के औचित्य के संबंध में अपीलकर्ता की दलीलों को यह देखते हुए खारिज कर दिया कि वन्यजीव (संरक्षण) अधिनियम, 1972 ('वन्यजीव अधिनियम') में इसकी परिकल्पना नहीं की गई है और इसके बजाय वन्यजीवों के लिए राज्य और राष्ट्रीय बोर्डों के गठन का प्रावधान है।यह अभिनिर्धारित किया गया कि विशेषज्ञ समिति का अधिदेश वन्यजीव अधिनियम के तहत बोर्डों के आदेश का उल्लंघन नहीं करता है। उच्च न्यायालय ने भी अपीलार्थी के इस तर्क में योग्यता नहीं पाई कि राज्य सरकार में इसकी कमी है

जी.

एच.

हाथी गलियारे को सूचित करने की शक्ति।इसके लिए, उच्च न्यायालय ने समवर्ती सूची में प्रविष्टियां 17 ए 'वन' और 17 बी 'जंगली जानवरों और पक्षियों के संरक्षण' और वन्यजीव अधिनियम के अध्याय IV के तहत अभयारण्यों, राष्ट्रीय उद्यानों, संरक्षण भंडारों और सामुदायिक भंडारों को अधिसूचित करने के लिए राज्य सरकार की शक्ति पर भरोसा किया।

20. उच्च न्यायालय के समक्ष, अपीलार्थी ने यह भी तर्क दिया था कि विवादित जी. ओ. ने एक ऐसे क्षेत्र में एक "कृत्रिम गलियारा" बनाने की मांग की थी जिससे हाथी पारंपरिक रूप से नहीं गुजरते हैं।इस तर्क को खारिज करते हुए, उच्च न्यायालय ने कहा कि अभिलेख पर मौजूद सामग्री से स्पष्ट रूप से पता चलता है कि जानवर पहले से ही उक्त क्षेत्र से गुजर रहे थे।उच्च न्यायालय ने कहा कि अपीलार्थी और अन्य लोगों ने हॉलिडे रिसॉर्ट्स का निर्माण किया है और केवल आवासीय घरों के निर्माण की अनुमति होने के बावजूद क्षेत्र में वाणिज्यिक गतिविधियों को अंजाम दे रहे हैं।बिजली की बाड़ और कांटेदार तारों से घिरे ऐसे रिसॉर्ट्स के बढ़ने से हाथियों की आवाजाही काफी सीमित हो गई थी और मानव-हाथी संघर्ष की घटनाओं में वृद्धि हुई थी। तदनुसार, उच्च न्यायालय ने निम्नलिखित निर्देश पारित किए जिन्हें हमारे समक्ष चुनौती दी गई हैः

ग

डी.

" रिसॉर्ट मालिकों और अन्य निजी भूमि मालिकों को निर्देश दिया जाता है कि वे आज से तीन महीने के भीतर अधिसूचित 'हाथी गलियारे' के भीतर आने वाली भूमि के खाली कब्जे को जिला कलेक्टर, नीलगिरी को सौंप दें।इस बीच, तमिलनाडु सरकार को परियोजना के कार्यान्वयन के साथ आगे बढ़ने की अनुमति है जैसा कि G.O.M.s में अधिसूचित किया गया है। वन्यजीवों, विशेष रूप से हाथियों के सर्वोत्तम हित में संख्या 125, दिनांक 31.08.2010, ताकि हाथी गलियारे को अधिसूचित और सुधार किया जा सके।"

ई.

च

21. उच्च न्यायालय ने राज्य को अनुसूचित जनजाति और अन्य पारंपरिक वनवासी (वन अधिकारों की मान्यता) अधिनियम, 2006 के प्रावधानों का सख्ती से पालन करने का भी निर्देश दिया और यदि किसी भी वनवासी को हाथी गलियारे से बेदखल किया जाता है, तो उन्हें कानून के तहत विचार की गई प्रक्रिया के अनुसार वैकल्पिक आवास या मुआवजा प्रदान किया जाए।

जी.

22. उच्च न्यायालय के उपरोक्त निर्णय के खिलाफ 2011 का समीक्षा आवेदन सं. 157 दायर किया गया था।इसे उच्च न्यायालय द्वारा अपने दिनांक 1 के आदेश के माध्यम से इस आधार पर खारिज कर दिया गया था कि विवादित निर्णय एक तर्कपूर्ण आदेश था जो रिकॉर्ड के सामने किसी भी स्पष्ट त्रुटि से ग्रस्त नहीं था।

एच.

289

आतिथ्य ए. एस. एस. एन. मुदमलाई बनाम पर्यावरण और जानवरों की रक्षा [एस. अब्दुल नजीर, जे.] ए.

क.

ग. इस न्यायालय के समक्ष कार्यवाही

23. वर्तमान अपीलों के लंबित रहने के दौरान, इस न्यायालय को सूचित किया गया था कि तमिलनाडु में हाथी गलियारे में बड़े पैमाने पर निर्माण कार्य चल रहा है।अपने दिनांक 1 के आदेश में, इस न्यायालय ने यह स्पष्ट किया था कि तमिलनाडु में हाथी गलियारे में किसी भी निर्माण की अनुमति नहीं है और जिला कलेक्टर, नीलगिरी को निर्देश दिया था कि वे एक कार्य योजना तैयार करें और प्रस्तुत करें कि निर्माण की पहचान कैसे की जाए, उन्हें कब बनाया गया है और निर्माण का उपयोग किस उद्देश्य के लिए किया जा रहा है।यह कार्य योजना हाथी गलियारों के संबंध में होनी थी जैसा कि हाथी कार्य बल की रिपोर्ट "गजह" के साथ-साथ हाथी गलियारे में उल्लिखित है जैसा कि विवादित जी. ओ. द्वारा अधिसूचित किया गया था।

ग

24. इस आदेश के अनुपालन में, जिला कलेक्टर, नीलगिरी ने एक्टन रिपोर्ट की एक योजना दायर की, जिसमें हाथी गलियारा क्षेत्रों में निम्नलिखित निर्माणों की पहचान की गईः

डी.

एस. एल. नहीं।	निर्माण की प्रकृति	निर्माणों की कुल संख्या

1	रिज़ॉर्ट परिसरों के भीतर इमारतों की कुल संख्या (संख्या 39)	309
2	मकान।	390
3	अन्य सामान्य बुई स्थल (स्कूल, पानी की टंकी, सामुदायिक हॉल, मंदिर, सार्वजनिक शौचालय आदि)	27
4	बागानों की संख्या	9
5	खेती के क्षेत्रों की संख्या	77
6	अन्य निर्माण	9
कुल		821

ई.

विशेष रूप से रिसॉर्ट्स के संबंध में, जिला कलेक्टर ने प्रस्तुत किया कि उनमें से सभी 39 अवैध रूप से काम कर रहे थे क्योंकि उनमें से 27 ने केवल आवासीय उद्देश्य के लिए मंजूरी प्राप्त की थी, जबकि उनमें से 12 ने कोई मंजूरी प्राप्त नहीं की थी।

च

25. 09.08.2018 पर अगली सुनवाई में, इस अदालत ने नोट किया कि 39 रिसॉर्ट्स में से केवल 12 की ओर से वकील अदालत के समक्ष उपस्थित थे और इस प्रकार माना कि शेष 27 रिसॉर्ट्स ने कलेक्टर की उपर्युक्त रिपोर्ट को स्वीकार कर लिया था।तदनुसार, इस न्यायालय ने निर्देश दिया कि इन 27 रिसॉर्ट्स को कलेक्टर द्वारा बंद/सील कर दिया जाए और अन्य 12 रिसॉर्ट्स को कलेक्टर के समक्ष अपने रिसॉर्ट्स के संचालन के लिए अनुमोदन और अधिकार दिखाने वाले दस्तावेज पेश करने के लिए 48 घंटे का समय दिया जाए।यदि कलेक्टर को दस्तावेज अधूरे लगते हैं, तो उन्हें तुरंत परिसर को बंद/सील करने का निर्देश दिया गया था।इसके अलावा, कलेक्टर की रिपोर्ट द्वारा जिन गैर-रिसॉर्ट निवासियों की पहचान की गई थी, वे रहने वाले हैं।

जी.

एच.

गलियारा क्षेत्र में भूमि, कलेक्टर के समक्ष सत्यापन के लिए आवश्यक दस्तावेज प्रस्तुत करने के लिए 2 महीने की अवधि दी गई थी।

26. इसके बाद, जिला कलेक्टर, नीलगिरी ने दिनांक 23.10.2018 पर एक कार्रवाई रिपोर्ट दायर की जिसमें कहा गया कि इस अदालत के उपरोक्त निर्देश के अनुसार 27 रिसॉर्ट्स को सील कर दिया गया था और अन्य 12 रिसॉर्ट्स से दस्तावेज प्राप्त हुए थे।कलेक्टर ने कहा कि इन 12 रिसॉर्ट्स में से केवल 1 रिसॉर्ट मालिक आवासीय उद्देश्य के लिए अपने परिसर के उपयोग का प्रमाण दिखा सका, जबकि शेष 11 रिसॉर्ट मालिकों के पास वैध दस्तावेज नहीं थे।तदनुसार, इन 11 रिसॉर्ट्स को भी इस

न्यायालय के उपरोक्त आदेश के अनुसार कलेक्टर द्वारा सील कर दिया गया था।इस रिपोर्ट में, कलेक्टर ने इस बात पर भी प्रकाश डाला कि वन विभाग ने सीलबंद रिसॉर्ट्स को अपने परिसर के चारों ओर लगाए गए सौर, बिजली और कांटेदार तार की बाड़ को हटाने का निर्देश दिया था क्योंकि इससे गलियारे में हाथियों की मुक्त आवाजाही में बाधा आती है।हालांकि, कुछ ही रिसॉर्ट मालिकों ने वन विभाग के निर्देश का पालन किया था।इस संबंध में, 24.10.2018 पर, इस न्यायालय ने निर्देश दिया कि बिजली की बाड़ और कांटेदार तार, जहां भी उनके सॉर्ट मालिकों द्वारा लगाए गए हैं, उन्हें तुरंत हटा दिया जाना चाहिए। जिला कलेक्टर, नीलगिरी ने दिनांक 29.11.2018 पर एक और कार्रवाई रिपोर्ट दायर की जिसमें बताया गया कि उन्होंने गलियारा क्षेत्र में उपरोक्त रिसॉर्ट्स के परिसर से बिजली की बाड़ और कांटेदार तार को हटाना सुनिश्चित किया था।

ग

डी.

27. इस समय के दौरान, इस न्यायालय के समक्ष शुरू में प्रतिनिधित्व किए गए 12 रिसॉर्ट्स के अलावा, रिसॉर्ट्स/गेस्ट हाउस के कई अन्य मालिकों के साथ-साथ हाथी गलियारा क्षेत्र में और उसके आसपास खेती की भूमि, आवासीय घरों और अन्य निर्माणों के मालिकों ने जिला कलेक्टर, नीलगिरी के कार्यों और उच्च न्यायालय के विवादित फैसले से व्यथित होकर हमारे सामने शामिल होने की मांग की है।

ई.

च

D. दलों की दलीलें

28. अपीलार्थियों की ओर से पेश हुए विद्वान वरिष्ठ वकील श्री सलमान खुर्शीद का तर्क है कि अपीलार्थियों की भूमि हाथी गलियारे के अंतर्गत नहीं आती है और विवादित जी. ओ. के तहत अधिसूचित क्षेत्र किसी भी वैज्ञानिक रूप से मान्यता प्राप्त हाथी गलियारे के अंतर्गत नहीं आता है और उन क्षेत्रों को शामिल करना चाहता है जो हाथियों द्वारा पार नहीं किए जाते हैं।यह आगे तर्क दिया जाता है कि हाथी गलियारों की पहचान एक वैज्ञानिक प्रक्रिया है और विवादित जी. ओ., जो उच्च न्यायालय द्वारा नियुक्त विशेषज्ञ समिति की सिफारिशों के अनुसरण में जारी किया गया था, गलत और कानून में असमर्थनीय था।रिसॉर्ट मालिकों का दावा है कि वे ए

जी.

एच.

291

आतिथ्य ए. एस. एस. एन. मुदमलाई बनाम पर्यावरण और जानवरों की रक्षा [एस. अब्दुल नजीर, जे.] ए.

छोटे रिसॉर्ट चलाएँ जो पर्यावरण के अनुकूल हों और अनिवार्य रूप से उन पर्यटकों के लिए हों जो प्रकृति और वन्यजीवों के करीब होना चाहते हैं।यह भी कहा जाता है कि ये रिसॉर्ट्स पर्यटकों को जानवरों और पर्यावरण के प्रति संवेदनशीलता हासिल करने में मदद करते हैं, जबकि उनकी उपस्थिति से किसी भी शोषण या क्षति को रोकते हैं।कुछ अन्य अपीलकर्ताओं ने यह भी तर्क दिया है कि उनकी भूमि हाथी गलियारे के भीतर नहीं आती है, जहां से अतिक्रमण हटाने की मांग की गई थी।

29. यह भी तर्क दिया जाता है कि जिन क्षेत्रों को राज्य सरकार द्वारा विवादित जी. ओ. के माध्यम से हाथी गलियारे के रूप में अधिसूचित किया गया है, वे 1972 से अब तक सिगुर पठार में ऐतिहासिक हाथी गलियारों पर किए गए सभी आधिकारिक अध्ययनों से भिन्न हैं।यह भी प्रस्तुत किया जाता है कि उच्च न्यायालय द्वारा गठित विशेषज्ञ समिति की सिफारिशों और राज्य सरकार द्वारा जारी विवादित जी. ओ. के बीच क्षेत्रफल में अंतर है।यह तर्क दिया जाता है कि उक्त जी. ओ. में निजी/सरकारी भूमि का एकतरफा जोड़ और विलोपन मनमाना और अवैध है।जी. ओ. के तहत गलियारे क्षेत्रों का विस्तार एक नए हाथी गलियारे के निर्माण के बराबर है जो वर्तमान में मौजूद नहीं है और यह गैरकानूनी है।

ग

डी.

30. कुछ अन्य अपीलार्थियों के विद्वान वकीलों ने भी इसी तरह की दलीलें दी हैं।यह तर्क दिया गया था कि अपीलार्थियों की भूमि हाथी गलियारे के भीतर नहीं आती है।यह भी तर्क दिया गया कि इस न्यायालय के समक्ष जिला कलेक्टर, नीलगिरी द्वारा दायर कार्य योजना रिपोर्ट स्पष्ट रूप से गलत है और इसके अनुसरण में जिला कलेक्टर की कार्रवाई अवैध है।कुछ अपीलकर्ताओं ने आगे आरोप लगाया है कि जिला कलेक्टर, नीलगिरी ने अधिसूचित हाथी गलियारा क्षेत्र के बाहर के प्रतिष्ठानों से भी अवैध रूप से बाड़ हटा दी है।31. दूसरी ओर, प्रतिद्वंद्वी प्रतिवादियों की ओर से पेश विद्वान अधिवक्ता ने उच्च न्यायालय के विवादित फैसले को, साथ ही जिला कलेक्टर, नीलगिरी द्वारा दायर कार्य योजना रिपोर्ट और कार्रवाई रिपोर्ट को भी सही ठहराने की मांग की है।

ई.

च

32. न्यायमित्र के रूप में उपस्थित विद्वान अधिवक्ता ने प्रतिस्पर्धा करने वाले उत्तरदाताओं की प्रस्तुतियों और जिला कलेक्टर, नीलगिरी द्वारा प्रस्तुत रिपोर्टों का समर्थन किया।

जी.

E. हमारा विश्लेषण

33. हमने बार में किए गए विद्वान वकील की दलीलों पर सावधानीपूर्वक विचार किया है और अभिलेख पर सामग्री का अध्ययन किया है।

एच.

34. शुरुआत में, यह ध्यान दिया जाना चाहिए कि वाइल्डलाइफ ट्रस्ट ऑफ इंडिया हाथियों को "कीस्टोन प्रजाति" के रूप में बताता है क्योंकि उनका खानाबदोश व्यवहार पर्यावरण के लिए बेहद महत्वपूर्ण है।घूमते हाथियों के झुंड पारिस्थितिकी तंत्र में कई महत्वपूर्ण भूमिका निभाते हैं:

(i) परिदृश्य वास्तुकार:हाथी जंगल में सफाई करते हैं क्योंकि वे चलते हैं, कुछ पौधों की प्रजातियों के अतिवृद्धि को रोकते हैं और दूसरों के पुनर्जनन के लिए जगह देते हैं, जो बदले में अन्य शाकाहारी जानवरों को पोषण प्रदान करते हैं।((ii) बीज का फैलाव:हाथी पौधों, फलों और बीजों को खाते हैं, जब वे यात्रा करते समय अन्य स्थानों पर शौच करते हैं तो बीज छोड़ देते हैं। यह विभिन्न पौधों की प्रजातियों के वितरण की अनुमति देता है, जिससे जैव विविधता को लाभ होता है।

ग

((ग) पोषण:हाथी का गोबर पौधों और जानवरों को पोषण प्रदान करता है और कीटों के प्रजनन स्थल के रूप में कार्य करता है।

((iv) खाद्य श्रृंखला:बाघ जैसे शीर्ष शिकारी कभी-कभी युवा हाथियों का शिकार करते हैं।इसके अलावा, हाथी के शव अन्य जानवरों के लिए भोजन प्रदान करते हैं।

डी.

(v) छत्र प्रभाव:हाथियों के स्वतंत्र रूप से घूमने के लिए एक बड़े क्षेत्र को संरक्षित करके, पारिस्थितिकी तंत्र की कई अन्य जानवरों और पौधों की प्रजातियों के लिए एक उपयुक्त आवास प्रदान करता है।

ई.

हाथी गलियारे हाथियों को अलग-अलग वन आवासों के बीच यात्रा की सुविधा प्रदान करके, सिकुड़ते वन क्षेत्र के बावजूद, जीवित रहने के अपने खानाबदोश तरीके को जारी रखने की अनुमति देते हैं।गलियारे वन के संकीर्ण और रैखिक क्षेत्र हैं जो आवासों में संपर्क स्थापित करते हैं और सुविधा प्रदान करते हैं।आज की दुनिया के संदर्भ में, जहां आवास विखंडन तेजी से आम हो गया है, ये गलियारे निवास अलगाव के प्रभाव को कम करके वन्यजीवों को बनाए रखने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाते हैं।उनकी अनुपस्थिति में, हाथी स्वतंत्र रूप से घूमने में असमर्थ होंगे, जो बदले में कई अन्य पशु प्रजातियों को प्रभावित करेगा और कई जंगली आवासों का पारिस्थितिकी तंत्र संतुलन अपरिवर्तनीय रूप से परेशान होगा।यह अंततः हाथियों के स्थानीय विलुप्त होने का कारण भी बनेगा, एक ऐसी प्रजाति जिसे हमारे देश और दुनिया भर में व्यापक रूप से सम्मानित किया जाता है।जंगली हाथियों के भविष्य को सुरक्षित करने के लिए, यह आवश्यक है कि हम विभिन्न वन आवासों के बीच उनकी निर्बाध आवाजाही सुनिश्चित करें।इसके लिए हाथी गलियारों की रक्षा की जानी चाहिए।

च

जी.

35. इन गलियारों के संरक्षण में कानूनी हस्तक्षेप की आवश्यकता है क्योंकि वन्यजीव गलियारों को विभिन्न सामाजिक, ए.

एच.

293

आतिथ्य ए. एस. एस. एन. मुदमलाई बनाम पर्यावरण और जानवरों की रक्षा [एस. अब्दुल नजीर, जे.] ए.

आर्थिक और मानवजनित कारक, जैसा कि ऊपर उल्लेख किया गया है।निजी रिसॉर्टों को चलाने और हाथियों के गलियारों के भीतर कांटेदार और बिजली की बाड़ वाली नई इमारतों के निर्माण जैसी व्यावसायिक गतिविधियाँ विखंडन और आवासों के विनाश का गंभीर खतरा पैदा करती हैं।प्रजातियों का दीर्घकालिक अस्तित्व व्यवहार्य आवासों को बनाए रखने और गलियारों को जोड़ने पर निर्भर करता है जो प्रजातियों के जीन पूल में भिन्नता बनाए रखते हैं और आवास विखंडन और प्रजातियों के अलगाव से जुड़े अन्य जोखिमों से बचते हैं।

36. समय के साथ, पारिस्थितिक संतुलन सुनिश्चित करने और ऐसे गलियारों सहित प्राकृतिक आवासों के संरक्षण की दृष्टि से वनों और जंगली जानवरों की सुरक्षा प्रदान करने के लिए भारतीय वन अधिनियम, 1927 और वन्यजीव अधिनियम सहित कई पर्यावरणीय कानून बनाए गए हैं।वन्यजीव अधिनियम के उद्देश्य की व्याख्या इस न्यायालय द्वारा बिहार राज्य बनाम मुराद अली खान 1 में निम्नलिखित शब्दों में की गई थीः

ग

"8. ... वन्यजीव कानूनों की नीति और उद्देश्य का एक लंबा इतिहास है और यह मनुष्य द्वारा प्रकृति पर किए गए विनाशों द्वारा शुरू किए गए गंभीर पारिस्थितिक-संतुलन को बहाल करने की अनिवार्य आवश्यकता के बारे में बढ़ती जागरूकता का परिणाम है।जिस राज्य में पारिस्थितिक असंतुलन और उसके परिणामस्वरूप पर्यावरणीय क्षति पहुंची है, वह इतनी खतरनाक है कि जब तक तत्काल, निर्धारित और प्रभावी कदम नहीं उठाए जाते, तब तक नुकसान अपरिवर्तनीय हो सकता है।जीवों और वनस्पतियों का संरक्षण, जिनमें से कुछ प्रजातियां खतरनाक दर से विलुप्त हो रही हैं, मानवता के अस्तित्व के लिए एक बड़ी और तत्काल आवश्यकता रही है और ये कानून बहाली के लिए एक अंतिम लड़ाई को दर्शाते हैं, कम से कम, मानव जाति के लिए जोखिमों की विशालता के प्रति कठोर असंवेदनशीलता के लंबे इतिहास से उभरने वाली एक गंभीर स्थिति जो पर्यावरण के बिगड़ने के साथ जाती है।

डी.

ई.

च

XXX

XXX

XXX

10. ... प्रकृति में पारिस्थितिक संतुलन के बारे में पर्यावरणविदों की अवधारणा इस मौलिक अवधारणा पर आधारित है कि प्रकृति "जटिल जैविक समुदायों की एक श्रृंखला है जिसमें एक आदमी एक-दूसरे पर निर्भर है" और यह कि इसे किसी भी हिस्से को अतिक्रमण करने और कम करने के लिए नहीं दिया जाना चाहिए।प्रकृति में पशु जीवन की संपत्ति में कमी का सबसे बड़ा एकल कारक

जी.

एच.

1 (1988) 4 एस. सी. सी. 655

294 सर्वोच्च न्यायालय की रिपोर्ट [2020] 10 एस. सी. आर.

अत्यधिक वाणिज्यिक शिकार के माध्यम से सीधे काम करने वाला "सभ्य व्यक्ति" रहा है या।अप्रत्यक्ष रूप से प्राकृतिक आवासों पर आक्रमण या विनाश के माध्यम से अधिक विनाशकारी।"

37. विशेष रूप से हमारे सामने तमिलनाडु के सिगुर पठार में गलियारा है।यह पश्चिमी और पूर्वी घाटों को जोड़ता है और हाथियों की आबादी और उनकी आनुवंशिक विविधता को बनाए रखता है।सिगुर पठार के दक्षिण-पश्चिम की ओर नीलगिरी पहाड़ियाँ और उत्तर-पूर्व की ओर मोयर नदी घाटी है।मानसून के आधार पर हाथी भोजन और पानी की तलाश में पलायन करते हैं और अपने प्रवास के दौरान उन्हें सिगुर पठार को पार करना पड़ता है।यह प्रवासी मार्ग बहुत महत्वपूर्ण माना जाता है क्योंकि यह भारत के सबसे बड़े संरक्षित वन क्षेत्र तमिलनाडु, कर्नाटक और केरल राज्यों में नीलगिरी बायोस्फीयर रिजर्व बनाने वाले कई सन्निहित वन क्षेत्रों को जोड़ता है।38. इस गलियारे के परस्पर विरोधी नक्शे मद्रास उच्च न्यायालय के समक्ष प्रस्तुत किए गए, जिसने इस प्रकार राज्य सरकार को इनमें से किसी एक को चुनने का निर्देश दिया:(i) वाइल्डलाइफ ट्रस्ट ऑफ इंडिया की पुस्तक "राइट ऑफ पैसेज-एलिफेंट कॉरिडोर ऑफ इंडिया" में पहचाने गए हाथी गलियारों का उल्लेख केंद्र सरकार द्वारा राज्य सरकार को लिखे अपने पत्र में किया गया था; या (ii) उच्च न्यायालय द्वारा नियुक्त विशेषज्ञ समिति द्वारा पहचाने गए एकल हाथी गलियारे का उल्लेख किया गया था।"राइट ऑफ पैसेज" नामक उपरोक्त पुस्तक के अनुसार, निम्नलिखित 4 गलियारे सिगुर पठार क्षेत्र में स्थित हैं:(i) अवराहल्ला-सिगुर, (ii) ग्लेनकोरिन में कलहट्टी-सिगुर, (iii) मोयर-अवराहल्ला और (iv) कलमलई-सिंगारा और अवराहल्ला।विशेषज्ञ समिति ने क्षेत्र के सभी हाथी गलियारों की जांच की और सिगुर पठार क्षेत्र में विभिन्न हाथी गलियारों वाले एकल हाथी गलियारे की पहचान की।राज्य सरकार ने विवादित जी. ओ. के माध्यम से विशेषज्ञ समिति द्वारा की गई सिफारिशों के अनुरूप इस एकल हाथी गलियारे को अधिसूचित किया।

ग

डी.

ई.

च

39. हमारे सामने अपीलार्थियों की दलीलों का पहला अंग यह है कि राज्य सरकार द्वारा नए गलियारों के निर्माण/मान्यता के लिए कोई वैधानिक शक्ति नहीं है।हम इस तर्क में योग्यता नहीं पाते हैं और सैद्धांतिक रूप से, तमिलनाडु में वन्यजीवों के संरक्षण के लिए विवादित जी. ओ. जारी करने सहित उपाय करने की राज्य सरकार की शक्ति के संबंध में उच्च न्यायालय के निष्कर्षों से सहमत हैं।इस बात से इनकार नहीं किया जा सकता कि राज्य सरकार को समवर्ती सूची में प्रविष्टियों 17 ए 'वन' और 17 बी 'जंगली जानवरों और पक्षियों के संरक्षण' और वन्यजीव ए के तहत राज्य सरकार की शक्ति के आलोक में अपने क्षेत्र में आने वाले वनों और वन्यजीवों की रक्षा के लिए उपाय करने का अधिकार है।

जी.

एच.

295

आतिथ्य ए. एस. एस. एन. मुदमलाई बनाम पर्यावरण और जानवरों की रक्षा [एस. अब्दुल नजीर, जे.] ए.

अभयारण्यों और अन्य संरक्षित क्षेत्रों को अधिसूचित करने के लिए अधिनियम।यह एक स्वीकृत स्थिति है कि अपीलकर्ताओं की भूमि को 1991 में तमिलनाडु निजी वन संरक्षण अधिनियम, 1949 के तहत निजी वन के रूप में अधिसूचित किया गया है, जो निजी वनों में पेड़ों को काटने पर प्रतिबंध लगाता है।टी. एन. गोडावर्मन तिरुमुलकपद बनाम भारत संघ 2 में इस न्यायालय के फैसले की ओर भी हमारा ध्यान आकर्षित किया गया है, जिसमें तमिलनाडु राज्य में निजी स्वामित्व वाली भूमि में स्थित जंगलों सहित सभी जंगलों में पेड़ों की कटाई पर प्रतिबंध लगा दिया गया था।प्रतिद्वंद्वी प्रत्यर्थियों ने तर्क दिया है कि अपीलार्थियों के रिसॉर्ट्स का निर्माण अनिवार्य रूप से इस न्यायालय के उपरोक्त निर्णय का उल्लंघन करता है।इस दावे की तथ्यात्मक सटीकता पर टिप्पणी किए बिना, यह देखते हुए कि अपीलार्थियों की भूमि का निजी वन भूमि के रूप में वर्गीकरण यहां विवाद में नहीं है, हमें यह मानने में कोई कठिनाई नहीं है कि राज्य सरकार को अपीलार्थियों की भूमि पर स्थित आवासों की रक्षा करने का अधिकार था।

ग

40. इसके अलावा, उच्च न्यायालय के विवादित फैसले के बाद से, पर्यावरण, वन और जलवायु परिवर्तन मंत्रालय ने अपनी अधिसूचना एस. ओ. 4498 (ई) दिनांक 13.12.2019 के माध्यम से मुदुमलाई बाघ अभयारण्य के आसपास के पूरे क्षेत्र और आसपास के क्षेत्रों को पर्यावरण के प्रति संवेदनशील क्षेत्र घोषित किया है।इस अधिसूचना के तहत, तमिलनाडु राज्य सरकार को इस तरह से स्थापित पर्यावरण-संवेदनशील क्षेत्र में आम तौर पर भूमि उपयोग के साथ-साथ विशेष रूप से होटलों/रिसॉर्ट्स की वाणिज्यिक स्थापना को विनियमित करने का स्पष्ट निर्देश दिया गया है।जैसा कि इस न्यायालय द्वारा एम. सी. मेहता बनाम भारत संघ और अन्य मामलों में अभिनिर्धारित किया गया था। 3 "एहतियाती सिद्धांत" को हमारे देश के कानून के एक भाग के रूप में स्वीकार किया गया है।भारत के संविधान के अनुच्छेद 21,47,48 ए और 51 ए (जी) राज्य को पर्यावरण की रक्षा और सुधार करने और देश के वनों और वन्यजीवों की रक्षा करने के लिए एक स्पष्ट जनादेश देते हैं।यह भारत के प्रत्येक नागरिक का कर्तव्य है कि वह वनों और वन्यजीवों सहित प्राकृतिक पर्यावरण की रक्षा करे और उसमें सुधार करे और जीवित प्राणियों के प्रति करुणा रखे।एहतियाती सिद्धांत राज्य सरकार के लिए पर्यावरण क्षरण के कारणों का अनुमान लगाना, उन्हें रोकना और उन पर हमला करना अनिवार्य बनाता है।इस संदर्भ में, हमें यह मानने में कोई संकोच नहीं है कि सिगुर पठार क्षेत्र में हाथियों की आबादी की रक्षा के लिए, राज्य सरकार के लिए हाथी गलियारे के भीतर आने वाले क्षेत्रों में वाणिज्यिक गतिविधियों को सीमित करना आवश्यक और उचित था।

डी.

ई.

च

जी.

2 (1997) 2 एससीसी 267 3 (1997) 3 एससीसी 715

एच.

296

सर्वोच्च न्यायालय की रिपोर्ट

[2020] 10 एस सी आर।

41. अपीलार्थियों की प्रस्तुतियों के दूसरे अंग में विशेषज्ञ समिति की रिपोर्ट की वैज्ञानिक सटीकता के बारे में प्रश्न और यह तर्क शामिल हैं कि आयामों के साथ-साथ उसमें पहचाने गए एकल गलियारे का स्थान आधिकारिक वैज्ञानिक प्रकाशनों के विपरीत है। अपीलार्थियों द्वारा यह तर्क दिया गया है कि उनके रिसॉर्ट और अन्य प्रतिष्ठान इन प्रकाशनों में पहचाने गए ऐतिहासिक गलियारों के भीतर नहीं आते हैं।इन दावों को उच्च न्यायालय द्वारा निपटाया गया था जिसमें कहा गया था कि हाथियों की उपस्थिति के साथ-साथ मानव-हाथी संघर्ष की पिछली घटना को दिखाने के लिए रिकॉर्ड पर सामग्री थी, जिसके परिणामस्वरूप उस क्षेत्र में एक फ्रांसीसी पर्यटक की मौत हो गई थी, जहां अपीलकर्ताओं के रिसॉर्ट स्थित हैं।उच्च न्यायालय ने यह भी कहा कि अपीलकर्ताओं के रिसॉर्ट्स के आसपास के क्षेत्रों से हाथियों की अनुपस्थिति, वास्तव में, अपीलकर्ताओं की निर्माण गतिविधियों के कारण थी, जिसके तहत बिजली की बाड़ लगाने के माध्यम से हाथियों की पहुंच को प्रतिबंधित किया गया है।हम उच्च न्यायालय के उपरोक्त तथ्यात्मक निष्कर्षों में हस्तक्षेप करने का कोई कारण नहीं देखते हैं और राज्य सरकार द्वारा विवादित जी. ओ. के माध्यम से उच्च न्यायालय द्वारा नियुक्त विशेषज्ञ समिति की सिफारिशों को अपनाने में भी कोई गलती नहीं पाते हैं।

ग

डी.

42. यह हमें अपीलार्थियों की प्रस्तुतियों के अंतिम अंग पर लाता है, जिसमें विवादित जी. ओ. द्वारा अधिसूचित हाथी गलियारे के क्षेत्रफल और उसके अनुसरण में जिला कलेक्टर, नीलगिरी द्वारा की गई कार्रवाइयों पर तथ्यात्मक आपत्तियां शामिल हैं। अपीलकर्ताओं ने तर्क दिया है कि विशेषज्ञ समिति की रिपोर्ट द्वारा अधिग्रहण के लिए अनुशंसित रकबे और विवादित जी. ओ. में रकबे के बीच पर्याप्त अंतर रहा है। आगे यह आरोप लगाया गया है कि राज्य सरकार द्वारा गलियारे की अधिसूचना पर आपत्तियां आमंत्रित करने वाले समाचार पत्र के विज्ञापन में रकबा भी विवादित जी. ओ. में रकबे से अलग है क्योंकि उक्त समाचार पत्र के विज्ञापन के अनुसार प्राप्त सभी आपत्तियों को राज्य सरकार द्वारा खारिज कर दिया गया था और चूंकि विवादित जी. ओ. ने विशेषज्ञ समिति की सिफारिशों को अपनाया था, इसलिए अपीलकर्ताओं का आरोप है कि रकबे में उक्त अंतर मनमाना और अनुचित है।यह भी आरोप लगाया गया है कि जिला कलेक्टर, नीलगिरी ने अनुमोदन और स्वामित्व दिखाने के लिए अपीलकर्ता रिसॉर्ट्स द्वारा प्रस्तुत दस्तावेजों को अस्वीकार करने के बाद उनके रिसॉर्ट्स को सील करने में मनमाने ढंग से काम किया है।इसी तरह, यह आरोप लगाया गया है कि जिला कलेक्टर ने इस अदालत के दिनांक 1 के आदेश के दायरे से परे चले गए जिसमें बिजली की बाड़ और कांटेदार तार को तुरंत हटाने का निर्देश दिया गया था।यह अपीलार्थियों का मामला है कि गैर-विद्युत बाड़ के साथ-साथ अधिसूचित हाथी गलियारे ए से परे बाड़

ई.

च

जी.

एच.

297

आतिथ्य ए. एस. एस. एन. मुदमलाई बनाम पर्यावरण और जानवरों की रक्षा [एस. अब्दुल नजीर, जे.] ए.

जिला कलेक्टर द्वारा क्षेत्र को हटा दिया गया था।हमारा विचार है कि अपीलार्थियों की उपरोक्त तथ्यात्मक आपत्तियों की सत्यता स्थापित करने के लिए जांच करना उचित और उचित है।

43. इसलिए, हम 3 सदस्यीय जांच समिति नियुक्त करते हैं जिसमें शामिल हैं:(i) माननीय न्यायमूर्ति श्री के. वेंकटरमण, मद्रास उच्च न्यायालय के पूर्व न्यायाधीश (अध्यक्ष); (ii) श्री अजय देसाई, वर्ल्ड वाइड फंड फॉर नेचर-इंडिया के सलाहकार और केंद्रीय पर्यावरण, वन और जलवायु परिवर्तन मंत्रालय (एम. ओ. ई. एफ. एंड सी. सी.) द्वारा गठित राष्ट्रीय हाथी कार्य योजना (एन. ई. ए. पी.) लाने के लिए तकनीकी समिति के सदस्य; और (iii) श्री प्रवीण भार्गव, वन्यजीव प्रथम के न्यासी और राष्ट्रीय वन्यजीव बोर्ड के पूर्व सदस्य, अपीलकर्ताओं और जिला कलेक्टर, नीलगिरी की कार्रवाइयों से व्यथित होने का दावा करने वाले किसी भी

अन्य व्यक्ति की व्यक्तिगत आपत्तियों पर निर्णय लेने के लिए, विवादित जी. ओ. के अनुसार और जैसा कि उनकी कार्य योजना रिपोर्ट और उनकी दोहरी कार्रवाई रिपोर्ट के माध्यम से हमारे सामने दर्ज किया गया है, साथ ही विवादित जी. ओ. के तहत हाथी गलियारे के क्षेत्रफल में मनमाने ढंग से भिन्नता के आरोपों के बारे में भी। राज्य सरकार को जांच समिति के अध्यक्ष से परामर्श करने और उन्हें और जांच समिति के अन्य सदस्यों को पारिश्रमिक देने का निर्देश दिया जाता है।इसके अलावा, हम राज्य सरकार को आज से चार सप्ताह के भीतर जांच करने के लिए जांच समिति को उचित सचिवीय सहायता और रसद सहायता प्रदान करने का निर्देश देते हैं।

ग

डी.

ई.

44. हम यह जांच समिति के विवेक पर छोड़ते हैं कि वह अपनी जांच कार्यवाही के लिए स्थान तय करे।हम जाँच समिति को जाँच में समिति की सहायता करने और उनके वेतन तय करने के लिए अस्थायी आधार पर आवश्यक कर्मचारियों की नियुक्ति करने के लिए भी अधिकृत करते हैं।राज्य सरकार को उनके वेतन का भुगतान करने का निर्देश दिया जाता है।राज्य सरकार और जिला स्तर के अधिकारियों को निर्देश दिया जाता है कि वे अपना पूरा सहयोग दें और अपीलकर्ताओं और इसी तरह से पीड़ित होने का दावा करने वाले किसी भी अन्य व्यक्ति की शिकायतों को दूर करने के लिए जांच समिति द्वारा आवश्यक कोई भी और सभी फाइलें/दस्तावेज पेश करें।विवादित जी. ओ. के अनुसार जिला कलेक्टर, नीलगिरी की कार्य योजना/कार्यों से व्यथित होने का दावा करने वाले अपीलार्थियों और अन्य व्यक्तियों और विवादित जी. ओ. के तहत क्षेत्रफल में भिन्नता के आरोपों को आज से चार महीने की अवधि के भीतर जांच समिति के समक्ष अपनी शिकायतों वाली आपत्तियां दर्ज करने की अनुमति है।जाँच समिति को निर्देश दिया जाता है कि वह उसके समक्ष दायर आपत्तियों पर विचार करे और पक्षों को सुनवाई का उचित अवसर देने के बाद उस पर उचित आदेश पारित करे।पार्टियां

च

जी.

एच.

जाँच समिति के समक्ष अपनी-अपनी दलीलों के समर्थन में दस्तावेज़ दाखिल करने की भी अनुमति है।

45. वर्तमान अपीलों का निपटारा उपरोक्त शर्तों में किया जाता है, जिससे पक्षकारों को अपना खर्च खुद वहन करना पड़ता है। सभी लंबित आवेदनों का निपटारा कर दिया जाएगा।

दिव्या पांडे

अपीलों का निपटारा किया गया।

ग

डी.

ई.

च

जी.

एच.